



प्रेषक,

सूर्यनाथ उपाध्याय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं
राज्य परियोजना निदेशक,
समग्र शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 13 मार्च, 2026

विषय: परियोजना मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय (विकास खण्ड-ऐरायां, ग्राम पंचायत-माझिलगाँव) जनपद- फतेहपुर (द्वितीय तहसील) के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-नि0का0/स0शि0/8096/2025-26, दिनांक 20 जनवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय (विकास खण्ड-ऐरायां, ग्राम पंचायत- माझिलगाँव) जनपद- फतेहपुर (द्वितीय तहसील) के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परियोजना मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालय (विकास खण्ड-ऐरायां, ग्राम पंचायत- माझिलगाँव) जनपद- फतेहपुर (द्वितीय तहसील) की पी0एफ0ए0डी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त अनुमोदित लागत **रु0 2453.22 लाख (रुपये चौबीस करोड़ तिरपन लाख बाईस हजार मात्र) (18% जी.एस.टी. सहित)** की धनराशि को व्यय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात् **रु0 1226.61 लाख (रुपये बारह करोड़ छब्बीस लाख इकसठ हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त कर व्यय किए जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. प्रश्रुत प्रायोजना का निर्माण कार्य नामित कार्यदायी संस्था- कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम) से कराया जायेगा।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025-बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 के प्राविधानों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
4. कार्य की विशिष्टियाँ मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाये।
5. प्रश्रुत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाएगा।
6. लेबर सेस की धनराशि नियमानुसार श्रम विभाग को भुगतान किया जायेगा।
7. प्रायोजना का कार्य अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा भविष्य में योजना का कोई भी पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।
8. यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

9. सेंटेज चार्जेज के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 17.05.2023 एवं 19.05.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. प्रायोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं किया जायेगा।
11. प्रश्नगत परियोजना के संबंध में व्यय वित्त समिति/पी0एफ0ए0डी0 की शर्तों/दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व आपका होगा।
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 27 मार्च, 2025 के प्रस्तर 2 (10) (ज) का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या -71 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परियोजना-01- सामान्य शिक्षा-201- प्रारम्भिक शिक्षा-04 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास-24 वृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के वित्तीय अशासकीय संख्या-ई-11-478-X-2025-26 दिनांक 13 मार्च, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
सूर्यनाथ उपाध्याय
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 ।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, जनपद- फतेहपुर ।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जनपद- फतेहपुर।
8. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, जनपद- फतेहपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज (उ0प्र0 जल निगम/सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक)।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11, उ0प्र0 शासन।
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/3, उ0प्र0 शासन।
12. बेसिक शिक्षा अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
सूर्यनाथ उपाध्याय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।